न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़
पीठासीन अधिकारी:- चन्द्रशेखर भण्डारी, RAS

प्रकरण सं. 09/2020 प्रार्थना पत्र

1. मनोहर सिंह पिता गंगा सिंह मीणा, आयु वयस्क, निवासी निम्बाहेड़ा।
2. श्रीमती अनुसुईया पत्नी मनोहर सिंह मीणा, आयु वयस्क, निवासी निम्बाहेड़ा।

- प्रार्थीगण

//बनाम//

1. परमेश्वर टांक पिता भगवतीलाल टांक, आयु वयस्क, निवासी मंगलवाड़ कॉलेज, तहसील डूंगला जिला चित्तौड़गढ़।
2. शांतिलाल पिता बाबूलाल पाटीदार, आयु वयस्क, निवासी छोटीसादड़ी, तहसील छोटीसादड़ी जिला प्रतापगढ़।
3. भूमिधारी तहसीलदार निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़।

- विपक्षीगण

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा. का.अधि.
श्री इन्दरलाल भाम्बी, अधिवक्ता प्रार्थीगण, उपस्थित
श्री बाबुलाल पाटीदार, अधिवक्ता विपक्षीगण, उपस्थित

निर्णय दिनांक 30.12.2020

संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया की प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की वाके मौजा सगवाड़िया की खाता संख्या 131 की आराजी नं. 377 रकबा 1.2500 हेक्टैयर भूमि स्थित है। इसी प्रकार खाता संख्या 1 की आराजी नं. 544/375 रकबा 0.2500 हैक्टेयर भूमि स्थित है जिसमें प्रार्थीगण का 2/5 हक हिस्सा निहित है। उक्त वर्णित आराजीयात पर प्रार्थीगण काबिज होकर बिना किसी बाधा के शांतिपूर्ण तरीके से काबिज होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं। उक्त वर्णित आराजीयात के उत्तर दिशा में आराजी नं. 376 रकबा 0.7600 हैक्टेयर भूमि स्थित है जो रूपलाल पिता रामा जटिया निवासी जलियां के नाम खातेदारी में दर्ज चली आ रही है, उक्त आराजीयात में से 0.7200 हैक्टेयर भूमि रूपलाल पिता रामा जटिया ने औद्योगिक प्रयोजनार्थ रूपान्तरित कराया तथा शेष 0.0400 हैक्टेयर बिलानाम दर्ज है। उक्त 0.7200 हैक्टेयर रूपान्तरित भूमि को विपक्षी संख्या 1 व 2 ने रूपलाल जटिया से क्रय किया तथा विपक्षी संख्या 1 व 2 अपनी क्रयशुदा आराजीयात पर बिना पत्थरगढ़ी कराये व बिना सीमा जानकारी कराये प्रार्थीगण की आराजीयात पर निर्माण करने पर आमदा हैं। प्रार्थीगण ने इन्कार किया और ... तो मौके पर विवाद किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Chandra Shekhar Bhandari
Date: 2021.03.17 17:34:26 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा (राज.)

Scanned with CamScanner

तथा जबरन कब्जा कर निर्माण करने पर आमदा हैं। समझाने बुझाने पर भी नहीं मान रहे हैं। प्रार्थीगण का प्राईमाफेसी केस होकर सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है तथा प्रार्थीगण विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने के अधिकारी हैं। विपक्षीगण को पाबन्द नहीं किया गया तो प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है विपक्षीगण को मूल वाद के निर्णय तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी संख्या 1 व 2 मय अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा जवाब प्रस्तुत करते हुए अंकित किया की प्रार्थीगण का मौके पर कोई कब्जा नहीं है। प्रार्थना पत्र में मनगढ़ंत एवं काल्पनीक तथ्य अंकित किये गये हैं जो स्वीकार नहीं। आराजी नं. 376 रूपान्तरित होकर विपक्षी संख्या 1 ने खरीदी है तथा वक्त खरीद से काबिज होकर उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। प्रार्थीगण का इस भूमि पर कोई हक अधिकार नहीं बनता है। प्रार्थना पत्र में आराजी नं. 376 का रकबा 1.2500 हैक्टेयर दर्शाया गया है जबकि इसमें से 0.2500 हैक्टेयर भूमि सरकारी भूमि शमशान दर्ज रेकार्ड है जिसका भी सही से अंकन नहीं किया गया है। प्रार्थी ने सभी रेकार्डेड खातेदार को पक्षकार नहीं बनाया है क्योंकि अन्य खातेदार प्रकरण से असहमत हैं। प्रार्थीगण द्वारा विपक्षीगण को धमकियां दी जा रही है जो खिलाफ कानून है। प्रार्थी विपक्षीगण को पाबन्द कराने के अधिकारी नहीं है। प्रार्थी का प्राईमाफेसी केस नहीं होकर उनको कोई सुविधा का सन्तुलन प्राप्त नहीं होता है। ना ही प्रार्थीगण को कोई अपूरणीय क्षति होती है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारीज योग्य है।

विशेष कथन में प्रार्थीगण ने अंकित किया है कि आराजी नं. 376 रूपान्तरित भूमि होने से माननीय न्यायालय को इस प्रकार की सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं है। मौके पर प्रार्थी का कोई कब्जा भी नहीं है। प्रार्थी ने रकबा भी गलत अंकित किया है और शमशान के नाम दर्ज 0.2500 हैक्टेयर को भी नहीं दर्शाया है। प्रार्थीगण किसी भी प्रकार से विपक्षीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र निरस्त किया जावे।

पैरोकार सरकार ने अपने जवाब में राजस्व रेकार्ड को स्वीकार किया है तथा अन्य सभी तथ्यों से इन्कार किया है।

बहस उभय पक्ष सुनी गई। मिसल का अवलोकन करते हुए पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के पक्ष में नक्शा ट्रेस ग्राम सगवाड़िया, नकल जमाबन्दी संवत 2070-73 ग्राम सगवाड़िया की खाता संख्या 131, 1 व 147 की छायाप्रतियां प्रस्तुत की है। प्रस्तुत [illegible] अनुसार आराजी नं. 377 व 544/375 प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी में दर्ज रेकार्ड है। इसी प्रकार आराजी नं. 376 रकबा 0.7600 हैक्टेयर में से 0.7200 हैक्टेयर भूमि औद्योगिक प्रयोजनार्थ रूपान्तरित है तथा 0.0400 हैक्टेयर बिलानाम सरकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Chandra Shekhar Bhandari
Date: 2021.03.17 17:34:26 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपखण्ड अधिकारी
(राज.)

Scanned with CamScanner

दर्ज रेकार्ड है जो रूपलाल पिता रामा जटिया निवासी जलियां की खातेदारी में दर्ज थी। इस प्रकार आराजी नं. 544/375 तथा आराजी नं. 377 प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की होने से प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष में बनता है। खातेदारी भूमि पर अनावश्यक दखलअन्दाजी से अधिकतम असुविधा रेकार्डे खातेदार को ही होती तथा किसी भी प्रकार से अवैध निर्माण से खातेदार को अपूरणीय क्षति होने की पूर्ण सम्भावना है। विपक्षीगण आराजी नं. 376 को अपनी खरीदशुदा व संपरिवर्तित भूमि बताते हैं परन्तु प्रार्थीगण का विवाद अपनी खातेदारी आराजीयात का है। जहां तक क्षेत्राधिकार का प्रश्न है, प्रार्थीगण द्वारा जिन आराजीयात पर अस्थाई निषेधाज्ञा की सहायता चाही गई है, वे कृषि भूमि होकर राजस्व न्यायालय को ही इनकी सुनवाई का अधिकार है। पक्षकारान के अधिवक्ताओं की बहस से यह प्रकट होता है कि विवादित सीमाओं का होकर विपक्षीगण द्वारा निर्माण कार्य किया जा रहा है। जब तक विपक्षीगण को अपनी सीमाओं की पूर्ण जानकारी नहीं हो, तब तक निर्माण कार्य किये जाने से अनावश्यक विवाद व मुकदमेंबाजी बढ़ने की पूर्ण सम्भावना है। ऐसी स्थिति में पक्षकारान के मध्य विवाद को रोकने व अन्य मुकदमों में बढ़ोतरी को रोकने के लिए विपक्षीगण को मूल वाद के अन्तिम निर्णय तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। विपक्षीगण को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि मूल वाद के अन्तिम निस्तारण तक विपक्षीगण विवादित भूमि मौजा सगवाड़िया की आराजी नं. 544/375 व आराजी नं. 377 में किसी प्रकार की मदाखलत मजाहमत नहीं करें ना किसी से करावें। मौके पर कोई निर्माण कार्य नहीं करें ना करावें। प्रार्थीगण के उपयोग उपभोग को किसी प्रकार से न तो स्वयं बाधित करें ना किसी अन्य से करावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के साथ संलग्न हो। नम्बर से कम हो।

आज दिनांक 30.12.2020 को सरे इजलास सुनाया जाकर कम्प्युटराईज कराया गया।

30/12/20

(चन्द्रशेखर भण्डारी)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा (राज.)
निम्बाहेड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Chandra Shekhar Bhandari
Date: 2021.03.17 17:34:26 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner